सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 19/2015 अपील
पंजीयन दिनांक– 13–07–2015
निर्णय दिनांक – 05.02.2018

1. श्रीमती संगीता पुंत्री श्री देवेन्द्र अग्रवाल, पत्नी श्री अभिषेक अग्रवाल, निवासी–15 सर्वऋतु विलास, उदयपुर (राज.)

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री कैलाश चौधरी पिता श्री महादेव जी चौधरी, निवासी बंजारा बस्ती, हिरन मगरी सेक्टर नं. 5 उदयपुर (राज.)
2. श्री किशन पिता श्री देवाजी डांगी, निवासी कानपुर खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

––रेस्पोडेन्टस्

उपस्थित–

1– श्री हर्षद जोशी – वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर, गिर्वा दिनांक 08.06.2015 प्रकरण सं. 01/2015.

निर्णय

दिनांक 05.02.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–76 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, गिर्वा दिनांक 08.06.2015 प्रकरण सं. 01/2015 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा गुखर मगरी , पटवार मण्ड़ल तितरड़ी तहसील गिर्वा के आराजी नं. 800, 801, 802, 819, 820, 822 एवं 970 कुल किता–7 कुल रकबा 2.6550 हैक्टेयर में 1/12 वां हक एवं हिस्सा, आराजी नं. 770, 773, 774, 785, 786, 796, 797, 798, 805, 806, 1214/769, 1215/791, 1216/792 कुल किता–13 कुल रकबा 1.0900 हैक्टेयर में से 1/06 वां हक व हिस्सा, आराजी संख्या 772, 775, 777 से 783, 788, 789, 790, 776 कुल किता–13 कुल रकबा 1.7800 हैक्टेयर में 1/12 वां हक व हिस्सा रहा। जिसे अपीलान्ट द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.03.2012 को रेस्पों. संख्या 2 से क्रय की गई। वादग्रस्त भूमि पूर्व में दिनांक 09.01.2012 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा रेस्पों. संख्या 2 ने रेस्पों. संख्या 1 को विक्रय की गयी। जिसका नामान्तरकरण दर्ज नहीं कराये जाने से रेस्पों. संख्या 2 ने दुबारा अपीलान्ट को विक्रय कर दी गई। जिसका नामान्तरकरण संख्या 104 दिनांक 05.03.2012 को ग्रम पंचायत तितरड़ी द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण की अपील उपखण्ड़ अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में रेस्पों. संख्या 1 ने पेश की। अधिनस्थ न्यायालय ने अपील अपीलान्ट (रेस्पों.सं.1) स्वीकार कर उक्त नामान्तरकरण निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर रेस्पों. संख्या–2 द्वारा रेस्पों. संख्या 1 के पक्ष में किया गया प्रथम विक्रय पत्र दिनांक 09.01.2012 के आधार पर रेस्पों. सख्या 1 के पक्ष में नये सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश दिनांक 08.06.2015 पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। तहत का अभिलेख प्राप्त किया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पों. की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एक तरफा बहस दिनांक 23.01.2018 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि प्रश्नगत आराजीयात में से अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड के अंकन को देखते हुए रेस्पों. संख्या–2 को विधिवत रुप से विक्रय प्रतिफल राशि अदा कर मौके पर क्रयशुदा कृषिगत आराजीयात की भूमि का रिक्त भौतिक आधिपत्य प्राप्त कर भूमि क्रय की गई। पश्चात्वर्ती प्रक्रम में नुमाइशी एवं छद्म विक्रय विलेख के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त किया गया वह विधि विरुद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पों. संख्या 1 की अपील को बिना

किसी कारण मयाद में मानने की भारी भूल की है। इसी के साथ रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का अधिनस्थ न्यायालय में देरी को कन्डोन किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र में भी सशपथ पत्र यही तथ्य दौहराया गया कि सर्वप्रथम उसे दिनांक 17.10.2014 को जानकारी प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति में देरी को कण्डोन किया जाना विधि विरुद्ध है इतना ही नहीं उक्त जानकारी के भी छः माह पश्चात् रेस्पोंडेन्ट संख्या–1 द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। जबकि धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रावधानों में स्पष्ट रुप से अंकित है कि न सिर्फ देरी सद्भाविक होनी चाहिए, बल्कि देरी का स्पष्ट रुप से दिन – प्रतिदिन का कारण भी बताया जाना आवश्यक है और उन्हीं परिस्थितियों में देरी कण्डोन किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त प्रावधानों के विपरित जाते हुए पारित निर्णय निरस्त योग्य है। आगे यह भी बताया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष वादग्रस्त भूमि को लेकर वाद लम्बित है, जहां कि वादग्रस्त भूमि के स्वत्व विलेख को भी चुनौती दी गई है और सिविल न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण में गुणावगुण पर सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना है। ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडींग हैं, जिससे कि निर्णय पारित किये जाने में किसी भी रुप में स्वत्व को तय नहीं किया जा सकता, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के लम्बित होने एवं कार्यवाहियों के लम्बित होने के दौरान पारित निर्णय काबिल निरस्त के है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2015 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सही है कि वादग्रस्त भूमि का दिनांक 09.01.2012 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा रेस्पों. संख्या 2 ने अपने हिस्से की भूमि का रेस्पों. संख्या 1 के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर दी गई। जिसका नामान्तरकरण दर्ज नहीं कराये जाने से रेस्पों. संख्या 2 ने दुबारा पंजिकृत विक्रय विलेख दिनांक 02.03.2012 से अपीलान्ट को विक्रय कर दी गई। जिसका नामान्तरकरण संख्या 104 दिनांक 05.03.2012 को ग्राम पंचायत तितरड़ी द्वारा स्वीकृत किया गया। रेस्पों. संख्या 1 ने प्रथम अपील उप जिला कलक्टर गिर्वा के न्यायालय में पेश की गई। उप जिला कलक्टर गिर्वा ने अपने निर्णय दिनांक 08.06.2015 से अपील अपीलान्ट (रेस्पों.सं.1) स्वीकार कर उक्त नामान्तरकरण निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को प्रतिप्रेषित कर रेस्पों.

संख्या–2 द्वारा रेस्पों. संख्या 1 के पक्ष में किया गया प्रथम विक्रय पत्र दिनांक 09.01.2012 के आधार पर रेस्पों. सख्या 1 के पक्ष में नये सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश दिनांक 08.06.2015 पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम उप जिला कलक्टर गिर्वा द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर गिर्वा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर